न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—89 / 2019 / 223 (2019 / 00089)

1. रसाल पत्नि किशनलाल जाति जाट, निवासी मेवदाकलां, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. रोडी पुत्री किशनलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकन्या पुत्री नानूलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड, केकड़ी दिनांक 11.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 188 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री शिप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—31.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांटस के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 105 में दर्ज खसरा नंबर 636 रकबा 0.18 है0 व खसरा नंबर 2243 रकबा 0.44 है0 भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें वादिया का 1 / 4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त 3 / 4 हिस्सा दर्ज है तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज कश्त चले आ रहे है । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की नियत बद होने से वादिया को उसके हिस्से 1 / 4 से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा वादिया के हिस्से की आराजियात को खुर्द बुर्द एवं अन्तरण करने की धमकियां देते है । इस कारण वादिया को वाद पेश करना पड़ा है । इस प्रकार वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर उनके हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 11.6.2015 को पत्रावली को कैम्प कोर्ट मेवदाकलां में नियत कर वादिया / रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर प्रारंभिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांटस को नोटिस तामील कराये प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखकर एकतरफा में निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । लोक अदालत में सिफ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हो जबकि उपरोक्त प्रकरण में ना तो अपीलांटस को सूचित किया गया ना ही अपीलांटस के द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में कोई सहमति प्रदान की गई इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गंभीर अनियमितता कारित करते हुए विपक्षी के वाद को डिक्री करने में गंभीर कानूनी भूल की है । अधी0न्याया0 ने गलत तौर पर अपीलांटस के अभिभाषक को कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में उपस्थित होना अंकित कर निर्णय पारित किया है जबकि दिनांक 11.6.2015 को ना तो अपीलांटस कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ओरल ऐविडेन्स के आधार पर किसी भी वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर बिना साक्ष्य लिए, बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये विपक्षी के वाद को डिक्री करने में गंभीर अनियमितता कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2015 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 24.3.2015 को प्रार्थीगण की और से श्री शिव प्रसाद पाराशर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व पत्रावली को वास्ते जवाब दावा हेतु नियत किया गया तत्पश्चात् पत्रावली में दिनांक 8.5.2015 की पेशी नियत की गई । दिनांक 8.5.2015 से दिनांक 11.6.2015 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में रखे जाने बाबत् प्रार्थीगण को ना तो कोई नोटिस जारी किये गये एव ना ही उनके अधिवक्ता को नोटेड कराया गया एवं प्रकरण को कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में नियत करके एकतरफा में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं हो सकी । दिनांक 21.2.2019 को प्रार्थिया अपने खातों की नकल निकलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गई तब पटवारी हल्का ने बताया कि आपके प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव के बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तब प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता से जाकर जानकारी की तब प्रार्थिया के अधिवक्ता ने न्यायालय के रीडर से पता किया जिस पर निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अधी0न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 22.2.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाकिव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । खाता संख्या 105 में दर्ज खसरा नंबर 636 रकबा 0.18 है0 व खसरा नंबर 2243 रकबा 0.44 है0 भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें वादिया का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त 3/4 हिस्सा दर्ज है तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज कश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 को अपने हिस्से की

आराजियात का विधिक बंटवारा करवाने का अधिकार है । अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री में क्या त्रुटि रही है अपीलांट ने अपीलमीमों में अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण की तलबी के आदेश पारित किये। इसके उपरांत पत्रावली अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 6.2.2015 तक इंतजार सम्मन में चलती रही। दिनांक 24.3.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से श्री शिवप्रसाद पाराशर अधिवक्ता ने पॉवर पेश किया तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.5.2015 नियत की । दिनांक 8.5.2015 को अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांटस को जवाबदावा पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना पत्रावली को दिनांक 11.6.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में नियत कर प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त किये बिना वाद को दिनांक 11.6.2015 को वादी का वाद डिक्री कर दिया। अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दिनांक 11.6.2015 को लोक अदालत में रखने से पूर्व अपीलांटस को नोटिस/सूचना दिये जाने के संबंध में भी पत्रावली पर कोई नोटिस/सम्मन उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 को प्रकरण को लोक अदालत में रखने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया जाना आवश्यक था जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष लोक अदालत में हाजिर रहे हो । अधी0न्याया0 की उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद सख्या 188/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद पत्र में उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को शीघ्रातिशीघ्र गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर